



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

फायर ब्रिगेड

दूरभाष: 0755-2701221

(नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के पार्ट-4 एवं नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत)
पंजीयन क्रमांक 33

भोपाल, दिनांक 23/6/16

:: नवीनीकरण ::

प्रमाणित किया जाता है कि पी. एच. (ओल्ड हास्पिटल) एवं पी. एच. (ए. बी. सी. डी.) ब्लॉक भानपुर बायपास रोड भोपाल में लगे अग्निशमन उपकरण निरीक्षण के समय चालू पाये गये। फायर ब्रिगेड नगर निगम भोपाल अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिये निम्नलिखित सूझावों के पालन की अपेक्षा करता है-

1. नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के पार्ट-4 के अनुसार फायर एण्ड सेफ्टी लाइफ के सम्स्त शर्तों का पालन किया जावे।
2. होज बॉक्स के अंदर होज पाईप रखे जावे।
3. प्रत्येक होजरील में नोजल लगाया जावे।
4. हास्पिटल भवन में लगे फायर उपकरणों का रख-रखाव नियमित रूप से किया जावे एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय अपनाए।
5. यंत्रों के रख-रखाव हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जावे।
6. अग्निशमन विभाग को इस सम्बन्ध में समय पर जांच रिपोर्ट का पालन किया जावे।
7. आगम तथा निर्गम स्थानों को खोल रखे के लिये सूझाव विहित किया जावे।
8. अग्निशमन विभाग के दूरभाष क्रमांक 2542222 को सदृश स्थानों पर अंकित कराया जाये।



हास्पिटल भवन में लगे इलेक्ट्रिक वायरों की अच्छी तरह से चेकिंग की जावे।
हास्पिटल भवन के लिफ्ट के अंदर लिफ्ट मैकेनिक एवं फायर ब्रिगेड का दूरभाष क्र. 2542222 अंकित किया जावे।

सहायक फायर आफिसर छोला, के द्वारा दिनांक 13.06.2016 को किये गये निरीक्षण के आधार पर नवीनीकरण दिनांक 05.07.2016 से 04.07.2017 तक के लिये किया जाता है। उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर यह नवीनीकरण स्वतः निरस्त मान जाएगा तथा वैधता समाप्त होने पर पुनः इसका नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।

अंकित	: 1,00,000 वर्ग फिट
कुल शक्ति	: 30,000 /-
रसीद क्र.	: 131600021784
दिनांक	: 08.06.2016

[Signature]
सहायक फायर आफिसर
नगर निगम, भोपाल

[Signature]
फायर ब्रिगेड ऑफिसर
नगर निगम, भोपाल